

न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2023 (GCMS/2023/23)
पंजीयन दिनांक - 05.04.2023
आदेश दिनांक - 24.04.2023

श्री निर्भयसिंह पिता भंवरसिंह राणावत, निवासी बरोडिया, पोस्ट वाना, वाया खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर
---	------	---

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरुद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर।

निर्णय

दिनांक 24.04.2023

- श्री निर्भयसिंह पिता भंवरसिंह राणावत, निवासी बरोडिया, पोस्ट वाना, वाया खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 24.03.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जो इस न्यायालय को 31.03.2023 को प्राप्त होकर दिनांक 05.04.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 02 दिनांक 05.04.2023 से श्री निर्भयसिंह राणावत द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।
- अपीलार्थी का जवाब जरिये ई-मेल से प्राप्त हुआ जिस पर विचार किया गया।
- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित किया गया कि दिनांक 19.02.2023 को प्रथम अपील अधिकारी को कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किया गया।

- अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दिये गये दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं नहीं ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपील में प्रस्तुत दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हो या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये हो। रजिस्टर्ड डाक से प्रथम अपील प्रेषित किये जाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसे में प्रथम अपील के अभाव में प्रथम अपीलीय अधिकारी का अपील/परिवाद निस्तारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में यह अपील औचित्यपूर्ण नहीं है।
- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावे एवं नम्बर से कम किया जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर